स्पीड पोस्ट/फैक्स द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

ईपीएबीएक्स 011-2371791-98 — निर्वाचन सदन
फैक्स 011-23713412/23739944 — अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
वेबसाइट : www.eci.nic.in

सं. 464/अनु./पीडब्ल्यूडी/2018- ईपीएस — दिनांक : 27 सितंबर, 2018

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

विषय : ब्रेल सुविधाओं से युक्त फोटो मतदाता पर्ची की सुविधा - तत्संबंधी।

संदर्भ : आयोग के अनुदेश -

I. सं.464/अनु./2016-ईपीएस, दिनांक 26.12.2016

II. सं.464/अनु./2016-ईपीएस, दिनांक 19.01.2017

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग के सिद्धांत वाक्य ''कोई भी मतदाता न छूटे'' और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2018 के लिए ''सुगम निर्वाचन'' के थीम के आधार पर आयोग ने नई दिल्ली में 3 जुलाई और 4 जुलाई, 2018 को सभी हितधारकों के साथ सुगम निर्वाचन पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया था और सुगम निर्वाचनों पर कार्यनीतिगत फ्रेमवर्क जारी किया था।

जैसा कि आप जानते हैं, आयोग ने समय-समय पर फोटो मतदाता पर्ची के संबंध में दिनांक 26.12.2016 एवं 19.01.2018 को अनुदेश सं. 464/अनुदेश/2016-ईपीएस जारी किए हैं, जिसने अधिकाधिक निर्वाचन भागीदारी और मतदाता सहभागिता में योगदान दिया है।

इसके अतिरिक्त, कार्यनीतिगत फ्रेमवर्क के सभी मापदण्डों को कार्यान्वित करने और निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की संपूर्ण और रचनात्मक भागीदारी एवं सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जारी की जाने वाली साधारण फोटो मतदाता पर्ची के अतिरिक्त ब्रेल सुविधाओं से युक्त सुगम फोटो मतदाता पर्ची जारी करने का निदेश दिया है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि अनुदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। इस पत्र की पावती दें।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

ई पी ए बी एक्स 011-23717391 - 98
फैक्स 011 - 23713412/23739944
वेबसाईट : www.eci.nic.in

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनुदेश/मतदाता पर्ची/2017-ईपीएस दिनांक: 19 जनवरी, 2017

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: फोटो मतदाता पर्ची का वितरण-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, आयोग के अनुदेश सं.464/अनुदेश/मतदाता पर्ची/2014 ईपीएस, दिनांक 21 मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) को संदर्भित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उसके पैरा (1) को निम्नलिखित अनुसार संशोधित कर दिया गया है :-

i) सभी अवितरित फोटो मतदाता पर्चियां बूथ लेवल अधिकारी द्वारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को वापिस की जाएंगी जो उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा के अन्तर्गत मुहरबंद कवर में रखेंगे;

ii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उन्हें वापिस करने के बाद फोटो मतदाता पर्ची का आगे कोई वितरण नहीं किया जाएगा;

iii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक भाग/मतदान केन्द्र के संबंध में अवितरित फोटो पर्चियों की वर्णानुक्रम में सूची बनाएंगे;

iv) वर्णानुक्रम में सूची की दो प्रतियां निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी जाएंगी।

2. इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर सुविधा काउन्टर के माध्यम से फोटो मतदाता पर्ची के वितरण के संबंध में आयोग के अनुदेश सं.464/अनुदेश-मतदाता पर्ची/2014-ईपीएस, दिनांक 21 मार्च, 2014 के पैरा (ढ) एवं (ण) को हटा दिया गया है।

3. अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों सहित सभी संबंधितों को कृपया सूचित करें तथा तुंरत अनुपालन सुनिश्चित करें। मतदान होने वाले राज्यों- मणिपुर, पंजाब, गोवा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में उपरोक्त अनुदेश भारत निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों की जानकारी में लाए जाएं।

भवदीय,

(सुमित मुखर्जी)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 464/अनुदेश/2016-ईपीएस तारीख: 26 दिसंबर, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(1) गोवा, पणजी।

(2) मणिपुर, इम्फाल।

(3) पंजाब, चंड़ीगढ़।

4) उत्तराखण्ड, देहरादून।(

(5) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड, तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचन- 2017: आधिकारिक फोटो मतदाता पर्चियों पर अनुदेशों का संशोधन- तत्संबंधी।

संदर्भः आयोग के निम्नलिखित अनुदेशः

i. 464/अनुदेश/2011/ईपीएस दिनांक 18.02.2011
ii. 464/अनुदेश/2011/ईपीएस दिनांक 19.03.2011
iii. 464/अनुदेश/2013/ईपीएस दिनांक 14.06.2013
iv. 464/अनुदेश/2013/ईपीएस दिनांक 21.03.2014
v. 464/पश्चिम बंगाल-वि.स/2016(अनुदेश) दिनांक 01.04.2016

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है, आयोग ने मतदानों से कुछ दिन पहले मतदाताओं को आधिकारिक फोटो मतदाता पर्चियां वितरित करने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं। मतदाताओं का निर्वाचन तंत्र के माध्यम से वितरित की गई आधिकारिक फोटो पर्ची भी मतदान बूथ पर मतदाताओं की पहचान के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज है। विभिन्न पणधारियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में आधिकारिक फोटो मतदाता पर्चियों की निर्वाचकों के मध्य उपयोगिता, उपयुक्तता तथा आउटरीच के लिए स्वागत किया गया है तथा व्यापक रूप से इसे सराहा गया है, जिसने निर्वाचक सहभागिता बढ़ाने में तथा मतदाताओं को जोड़ने का व्यापक कार्य किया है।

उपर्युक्त अनुदेशों के अनुक्रम में तथा विगत में प्राप्त किए गए अनुभव के आलोक में, मतदाता सुविधा तथा जागरूकता के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में फोटो मतदाता पर्चियों की प्रभाविता बढ़ाने के

लिए एवं मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान स्थापित करने में, इसकी उपयोगिता में सुधार लाने के लिए, आयोग ने आधिकारिक फोटो मतदाता पर्ची के डिजाइन में सुधार करने का निर्णय लिया है ताकि इसे और अधिक सुस्पष्ट, सूचनात्मक तथा उपयोगी बनाया जा सके। फोटो मतदाता पर्ची के वर्तमान आकार को और बेहतर एवं सुलभ पहचान के लिए मतदाता फोटो को काफी बड़ा करके इसे काफी हद तक बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, मतदाता को मतदान केन्द्र अवस्थिति तथा मतदान दिवस के लिए अन्य महत्वपूर्ण अनुदेशों के सम्बन्ध में सहायता करने तथा मार्गदर्शन के लिए फोटो मतदाता पर्ची के पीछे महत्वपूर्ण सूचना/ क्या करें तथा क्या न करें के साथ-साथ मतदान केन्द्र गूगल मैप का स्नैपशॉट भी लगाया गया है।

तदनुसार, फोटो मतदाता पर्चियों के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गए हैं, तथा विद्यमान अनुदेश उस सीमा तक संशोधित होंगेः-

1. आधिकारिक फोटो मतदाता पर्चियां A-4 कागज के आधे आकार अर्थात् 8 इंच/6इंच (8''x6'') में मुद्रित की जाएंगी।
2. आधिकारिक फोटो मतदाता पर्ची, इसके साथ संलग्न नमूने के अनुसार सामने तथा पीछे के मुद्रण को दर्शाते हुए उचित नाप सहित दोनों तरफ मुद्रित की जांएगी।
3. फोटो मतदाता पर्चियों के मुद्रण के लिए अच्छी किस्म के कागज का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. मुद्रण की गुणता उच्च मानक की होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्पष्टता, सुपाठ्यता बनी रहे तथा चित्र साफ हो तथा विषय- सामग्री स्पष्ट हो।

इस पत्र की पावती दें तथा यह पुष्टि करें कि आवश्यक अनुपालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों/संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को सुसंगत अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

भवदीय,

(निखिल कुमार)
निदेशक

भारत निर्वाचन आयोग

साधारण विधान सभा निर्वाचन (राज्य/संघ शासित प्रदेश) - 2017

फोटो मतदाता पर्ची

	राज्य	बिहार
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	बेलहर
	नाम	विजय
	लिंग	पुरूष
	पहचान पत्र क्रमांक	डब्ल्युसीडी2085876
	पिता/पति का नाम	सूरज
	भाग संख्या	21
	भाग का नाम	प्राथमिक विद्‍यालय बाउका
	मतदाता क्रमांक	976
	मतदान केन्द्र	प्रोन्नत मध्य विद्‍यालय बाउका
मतदान की तारीख	मतदान की तारीख	इस समय कोई निर्वाचन निश्चित नहीं किए गए हैं
समय से	नवीनतम अपडेट का समय	16/12/2016

जिला निर्वाचन कार्यालय ---------------------------------------(जिला नाम)-------------------------------

डीईओ वेबसाइट-----------------------------------डीईओ हेल्पलाइन --------------------------------------

मतदान केन्द्र का मानचित्र	मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना

- मुज्जफरपुर
  दरभंगा
- अबाबाकारपुर
  सहरसा

मतदान केन्द्र
प्रोन्नत मध्य विद्यालय
बाउका/प्राथमिक विद्यालय बाउका
बांका बिहार
अपने चुनाव अधिकारी से मिलें

बिहार शरीफ लखीसराइ

राजगीर जामुई बांका
नवादा फार
पाक
चौपारन देवघर रामशंकर

झुमरी तलैया डुमका

गिरडी रामपुर

बीएलओ:........................(नाम एवं संपर्क नं.)

- मतदान समापन के समय कतार में खड़े सभी मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।
- महिलाओं के लिए अलग कतारें होगीं; वरिष्ठ नागरिकों को मतदान करने की वरीयता दी जाएगी।
- नेत्रहीन एवं दिव्यांग मतदाता को मतदान रिकार्ड करने के लिए अपने साथ एक वयस्क साथी को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- मोबाइल फोन और कैमरा जैसे उपकरण मतदान बूथ के अंदर अनुमत्य नहीं हैं।
- किसी विशेष अभ्यर्थी को मतदान दिए जाने के लिए किसी प्रकार का धन या पारितोषिक देना या स्वीकार करना विधि के अंतर्गत भ्रष्ट व्यवहार है।

कोई भी मतदाता न छूटें, प्रत्येक मत महत्वपूर्ण हैं ।